कार्यालय, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 4 (पॉलिसी) काशि/अनु0/2012–13/42 दिनांकः– 3/5/2012

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

निरीक्षण से संबंधित अति–आवश्यक निर्देश

राज्य सरकार द्वारा निजी महाविद्यालय खोलने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर सत्र 2012–13 की पॉलिसी गाईडलाईन्स के अनुसार विभाग द्वारा निरीक्षण पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते है। इस कार्य हेतु आपको नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में स्थापित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन/निरीक्षण हेतु निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि निरीक्षण अधिकारी के तौर पर मनोनीत प्राचार्य परीक्षा कार्य का हवाला देकर इस कार्य को प्राथमिकता सम्पादित नही कर रहें है और विभागीय आदेशों/निर्देशो की पालना नही कर रहे हैं जो कि गंभीर खेद का विषय है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण कार्य को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित् करें ताकि समय पर कार्य संपादित किया जा सकें, ऐसा न होने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती हैं।

निरीक्षण आदेश विभाग की अधिकृत Website पर उपलब्ध है। आदेश की Hard Copy प्राप्त ना होने की दशा में Website पर उपलब्ध आदेशों के आधार पर निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करे।

किसी कारणवश यदि प्राचार्य इस कार्य हेतु कार्य दिवसों पर नही जा पातें है अथवा किसी उचित कारण से समय पर निरीक्षण करने में असमर्थ हो तो वे छुट्टी के दिन इस कार्य को सम्पादित कर सकते हैं अथवा यह कार्य महाविद्यालय स्तर पर उपाचार्य अथवा वरिष्ठ व्याख्याताओं की टीम गठित कर भी संपादित करवाया जा सकता है।

विभाग के उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करे अन्थवा उक्त कार्य मे यदि विलम्ब होता है तो समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य/निरीक्षण अधिकारी की होगी।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।